

30-9  
22

आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई  
वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय  
में बार-बार आवाज लगवाने के  
बावजूद साथ 5.00 बजे तक वादी एवं  
वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं  
हुआ।

मूलवाद अदम एजिरी एवं अदम पैरव  
में खारिज हो चुका है। मूलवाद का निस्तारण  
हो जाने से प्रार्थना पत्र 212 RT Act का कोई  
औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र  
212 RT Act की कार्यवाही टूट ही जाती  
है। पत्रावली फंजल नुमार होकर रजिस्ट्रार से  
कम की जावे। संलग्न मूलवाद है।

SDO